उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-62 /2018/1484/92-2-18-94जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 15 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव के कार्यकाल में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कराये गये सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता किये जाने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव सम्प्रति सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के नियम-351-ए के अंतर्गत आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियत्रंण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-62 /2018/1484(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-104/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/18'19 दिनांक04-05-2018 के संदर्भ में।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव।

4- श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव तत्का0 अवर अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-उन्नाव सम्प्रति सहायक अभियंता (से0नि0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in